प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी पाली प्रथम** थाना : **ए.सी.बी, सी.पी.एस. जयपुर** वर्ष **2022**
   प्र.इ.रि.सं. 18/2023 दिनांक 19/01/2023
2. (1) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें. 7(C),13 (1)(ए), 13(2) पी.सी.एक्ट
   (2) अधिनियम –भा.द.स धाराये़ **409, 467, 468, 471, 477ए व 120बी भा.द.सं.**
   (3) अधिनियम .... – .... धारायें............ – ....
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये............ – ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 377 समय 7:20 pm
   (ब) अपराध के घटने का दिन, दिनांक एवं समय – वर्ष 01.08.2018 से 15.08.2018 तक
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 27.07.2022
4. सूचना किस्म :– श्री नरसिंह पुत्र श्री बिहारीलाल की लिखित शिकायत
5. घटनास्थल :– ग्राम पंचायत पोमावा तहसील सुमेरपुर जिला पाली
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– ब्यूरो चौकी पाली से बरूख उतर बफासला करीब 70 किमी।
   (ब) पता :– ग्राम पंचायत पोमावा तहसील सुमेरपुर जिला पाली ....
   ....बीट सख्या............ – .... जरायमदेही सं...–......
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .... – ....जिला............ – ....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री नरसिंह
   (ब) पिता का नाम :– श्री बिहारी लाल राजपुरोहित
   (स) जन्म तिथि......
   (द) राष्ट्रीयता,:– भारतीय
   (द) पासपोर्ट सख्या............ – .... जारी होने की तिथि .... – ....
   जारी होने की जगह .... – ....
   (र) व्यवसाय :–
   (ल) पता.:– ग्राम पुराड़ा पोस्ट पोमावा तहसील सुमेरपुर जिला पाली
7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   1. श्री गणेशाराम मेघवाल, कनिष्ठ सहायक, तत्कालीन कार्यवाहक ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पोमावा तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
   2. श्री कानाराम मीणा पुत्र श्री लच्छाराम जाति मीणा निवासी ग्राम पोमावा पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पोमावा पंचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली।
   3. श्री नरेन्द्रसिंह, कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली।
8. (शिकायत / इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) :– कोरोना काल के कारण
9. (चोरी हुई सम्पति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)
10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य :–
11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं) (यदि कोई हो तो) :–
12. (प्र0सू0रि0 की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करे) :–

महोदय,

निवेदन हैं कि शिकायत कर्ता श्री नरसिंह पुत्र श्री बिहारी लाल ने एक शिकायत ब्यूरो कार्यालय पाली पर प्रेषित की कि ग्राम पंचायत पोमावा में ग्राम पुराड़ा में श्री वीरसिंह के घर से श्री चुन्नीलाल के घर तक सी.सी. रोड़ व नाली निर्माण कार्य हेतु व्यय लागत 3,08,624/–रूपये व्यय 3,07,305/–रूपये होना बताया गया जबकि वहा पर किसी प्रकार की सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य नहीं हुआ हैं। शिकायत कर्ता कि उक्त शिकायत पर विस्तृत जांच हेतु शिकायत को ब्यूरो मुख्यालय स्तर से भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 17ए के प्रावधानो के अनुसरण में अनुमोदन चाहा गया जिसके कम में शिकायतकर्ता की शिकायत पर सक्षम स्तर से 17ए के प्रावधानो के तहत स्वीकृति प्राप्त हुई।

शिकायतकर्ता की शिकायत के कम में आरोपित कार्यो से सम्बन्धित दस्तावेजात कमशः ग्राम पंचायत पोमावा का ग्राम सभा बैठक कार्यवाही दिनांक 02.10.17, जावक रजिस्टर, प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 16.05.18, वितिय स्वीकृति दिनांक 13.06.18, मस्टरोल संख्या 03157 दिनांक 01.08.18 से दिनांक 15.08.18 व मस्टरोल संख्या 03156 दिनांक 01.18.18 से दिनांक 15.08.18, उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, उक्त कार्य इन्द्राज किये गये की माप पुस्तिका एवं ए वन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के बिलो की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गई तथा मौके पर निर्माण कार्य हैं या नही के सम्बन्ध में तकनिकी कमेटी का गठन कर वर्तमान ग्राम सेवक की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई तथा तकनिकी कमेटी से भी मौका रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

शिकायतकर्ता की शिकायत के कम में दस्तावेजी साक्ष्यों से पाया गया कि ग्राम पंचायत पोमावा में स्थित ग्राम पुराड़ा में श्री वीरसिंह के घर से श्री चुन्नीलाल के घर तक सी.सी. रोड़ व नाली निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत बैठक में दिनांक 02.10.17 को प्रस्ताव लिया गया जिसमें सी.सी. रोड मय नाली निर्माण कार्य श्री वीरसिंह के घर से आखरिया तक निर्माण कार्य करने का प्रस्ताव संख्या 08 में लिया गया जिस पर तत्कालीन सरपंच श्री कानाराम मीणा एवं अन्य बैठक सदस्यों के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान हैं। उक्त प्रस्ताव के कम में पत्र कमांक 327 दिनांक 05.10.17 को श्रीमान् विधायक महोदय के नाम पत्र जारी किया गया। उक्त कार्य हेतु पंचायत समिति सुमेरपुर से प्रशासनिक स्वीकृति कमांक 05 दिनांक 16.05.18 तथा वितिय स्वीकृति कमांक 180 दिनांक 13.06.18 जारी हुई जिसमें इस कार्य की एवज में चार लाख रूपये की वितिय स्वीकृति जारी की गई। उक्त दोनो स्वीकृतियों में ग्राम पुराड़ा में सीसी ब्लाक मय नाली निर्माण श्री वीरसिंह के घर से श्री चुन्नीलाल के घर तक का अंकन किया हुआ हैं जबकी ग्राम पंचायत द्वारा इस कार्य हेतु बैठक कार्यवाही में श्री वीरसिंह के घर से श्री आखरिया तक सी.सी. एवं नाली निर्माण का प्रस्ताव लिया गया था। वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी पोमावा व सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा आपसी मिलीभगत कर श्री वीरसिंह के घर से श्री चुन्नीलाल के घर तक सी.सी. ब्लाक मय नाली निर्माण कार्य करने से सम्बन्धित फर्जी दस्तावेजात माप पुस्तिका व मस्टरोल तैयार कर मौके पर कार्य नहीं करवाकर श्रम मद में 55,929/– व सामग्री मद में 2,52,868/– रूपये कुल 3,08,797/– रूपये व्यय करना दर्शाया जबकी मौके पर आज दिनांक तक स्वीकृत कार्य मौजुद नहीं पाये गये। इस सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण हेतु श्रमिकों की हाजरी मस्टरोल में इन्द्राज की हुई हैं तथा भुगतान भी किया जाना दर्शाया गया हैं, इस सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण के कार्य का मेजरमेन्ट माप पुस्तिका में इन्द्राज किया हुआ हैं। इस प्रकार 1. श्री कानाराम मीणा तत्कालीन सरपंच, 2. श्री गणेशाराम मेघवाल, कनिष्ठ सहायक, तत्कालीन कार्यवाहक ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत पोमावा तहसील सुमेरपुर जिला पाली एवं 3. श्री नरेन्द्रसिंह, कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने–अपने पद का दुरूपयोग कर आपसी मिलीभगत कर मौके पर स्वीकृत कार्य नहीं करवाकर राजकीय राशि का गबन करने की मंशा से स्वीकृत कार्य करने से सम्बन्धित फर्जी दस्तावेजात तैयार कर कुल 3,08,797/– रूपये का गबन कर राजकोष को हानि कारित करने से उपरोक्त तीनो लोकसेवको का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 (सी), **13(1)(ए), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 व 409, 467, 468, 471, 477ए व 120बी भा.द.सं.** का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया पाया जाता हैं।

अतः आरोपीगण 1. श्री कानाराम मीणा पुत्र श्री लच्छाराम जाति मीणा निवासी ग्राम पोमावा पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पोमावा पंचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली, 2. श्री गणेशाराम मेघवाल, कनिष्ठ सहायक, तत्कालीन कार्यवाहक ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पोमावा तहसील सुमेरपुर जिला पाली एवं 3. श्री नरेन्द्रसिंह, कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली के विरूद्व **जुर्म धारा** 7(C),13 (1)(ए), 13(2) **भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 व 409, 467, 468, 471, 477ए व 120बी भा.द.सं.** में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित हैं।

भवदीय

(पदमपाल सिंह)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
पाली–प्रथम

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पदमपाल सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम, पाली ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7(c),13(1)(a), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 409, 467, 468, 471, 477ए एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री गणेशाराम मेघवाल, कनिष्ठ सहायक, तत्कालीन कार्यवाहक ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पोमावा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली 2. श्री कानाराम मीणा पुत्र श्री लच्छाराम तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पोमावा, पंचायत समिति सुमेरपुर, जिला पाली एवं 3. श्री नरेन्द्रसिंह, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति सुमेरपुर, जिला पाली के विरूद्ध अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 18/2023 उपरोक्त धाराओ में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

19.1.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कमांकः- 134-39 दिनांक 19.01.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला स्थापना समिति, जिला परिषद पाली।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम।

19.1.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर